

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मार्च २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- I. सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए परिसीमन अवधि की गणना को दिनांक 30.3.2020 को जारी किया गया।
- II. मार्च, 2020 माह में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति हेतु और इस तथ्य के बावजूद कि वे घर से अथवा कार्यालय में कार्य कर रहे हैं दिनांक 31.3.2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।
- III. लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिव्यांगजनों को कार्यालय आने से छूट प्रदान करने हेतु दिनांक 27.03.2020 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।
- IV. एनसीडीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को भारत सरकार के सभी सचिवों के साथ साझा करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना हेतु अर्द्धशासकीय पत्र जारी किए गए।
- V. लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल कार्यालयी कार्यों हेतु न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के लिए एक रोस्टर बनाने हेतु मंत्रालयों/विभागों को परामर्श देते हुए दिनांक 22.3.2020 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था।
- VI. दिनांक 17.03.2020 को भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शिका के बारे में अवगत कराते हुए सभी सचिवों/प्रशासकों को दिनांक 19.03.2020 को अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया जिसमें कोविड-19 को देखते हुए यथोचित समान दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया गया।
- VII. कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यथाशीघ्र निवारात्मक उपाय करने के लिए दिनांक 17.03.2020 को सभी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू आदि को परामर्श जारी किया गया।
- VIII. सेवा के प्रारंभिक आठ वर्षों में नई भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की यात्रा करने हेतु एक अतिरिक्त गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को बदलने की सुविधा के लिए दिनांक 17.03.2020 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।
- IX. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की सांविधिक आवश्यकता के अनुसरण में दिनांक 02.03.2020 को लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 अधिसूचित किए गए।
- X. भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियोजन) नियम, 2020 में संशोधन करते हुए एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें उन भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर जिन्हें कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर निलंबित अथवा पद से हटाया गया है, ऐसे शार्ट सर्विस कमीशिंड अधिकारियों को पूर्व सैनिकों का दर्जा दिया गया जिन्हें अपने कार्यकाल के प्रारंभिक अवधि पूरी करने के बाद सेवा से कार्यमुक्त किया गया तथा ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।

- XI. वर्ष 2018 की रिक्ति के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में 06 प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की गई। कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण में 01 प्रशासनिक सदस्य और 01 न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति की गई।
- XII. दिनांक 20.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से आईएसटीएम द्वारा सीजीएलई 2017 के सीधी भर्ती किए गए सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी) को स्थगित किया गया और अंतरिम तौर पर ऑनलाइन/वर्चुल प्रशिक्षण देने के प्रयास किए गए।
2. दिनांक 06 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) ने की। श्रीमती छाया शर्मा, डीआईजी, एनएचआरसी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। डॉ. जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) ने मंत्रालय में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की महिला कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।